



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 फाल्गुन, 1943 (श०)

संख्या - 68 राँची, मंगलवार,

22 फरवरी, 2022 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

31 जनवरी, 2022

संचिका संख्या-2/राजस्व सेवा (खण्ड-I) -77/12-231--रा०, भारत का संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड राज्य के राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के अधीन राजस्व सेवा संवर्ग के कर्मियों की नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त के निर्धारण हेतु "झारखण्ड राजस्व सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा-शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2021" गठित करते हैं।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :-

(1.) संक्षिप्त नाम-यह नियमावली "झारखण्ड राजस्व सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा-शर्त) नियमावली (संशोधन), 2021" कही जायेगी।

(2.) विस्तार - इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3.) प्रारंभ - यह नियमावली इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

2. झारखण्ड राजस्व सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा- शर्तें) नियमावली, 2018 की कंडिका-6.4(i) अन्तर्गत राजस्व उप निरीक्षक की सीधी नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता हेतु निम्नांकित प्रावधान है :-

"किसी भी मान्यता प्राप्त इन्टरमिडियट बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से इन्टरमिडियट (10+2) की योग्यता रखना अनिवार्य होगा ।"

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

" न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:- अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इन्टरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा ।

उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक या 10वीं कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा ।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इन्टरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा ।"

3. झारखण्ड राजस्व सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा-शर्तें) नियमावली, 2018 की कंडिका-6.4(v) अंतर्गत राजस्व उप निरीक्षक की सीधी नियुक्ति के लिए पाठ्यक्रम हेतु निम्नांकित प्रावधान है :-

"कार्मिक, प्रशसनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा इन्टरमीडिएट स्तरीय पदों पर चयन के लिए समय-समय पर निर्धारित पाठ्यक्रम ।"

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

"पाठ्यक्रम :- कार्मिक, प्रशसनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अधिसूचित झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इन्टरमीडिएट/10+2 स्तर) संचालन नियमावली में विहित नियम एवं प्रक्रिया के अनुसार आयोजित परीक्षा एवं पाठ्यक्रम ।"

4. झारखण्ड राजस्व सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा-शर्तें)नियमावली, 2018 की कंडिका-7.5(i) अन्तर्गत अंचल निरीक्षक-सह-कानूनगो की सीधी नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता हेतु निम्नांकित प्रावधान है :-

"U.G.C. से मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री ।"

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

"न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:- अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक या 10वीं कक्षा एवं इन्टरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा ।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इन्टरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा ।

परन्तु यह कि सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता शिथिल रहेगी । "

5. झारखण्ड राजस्व सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा-शर्तें) नियमावली, 2018 की कंडिका-7.5(vi) अंतर्गत अंचल निरीक्षक-सह-कानूनगो की सीधी नियुक्ति के लिए पाठ्यक्रम हेतु निम्नांकित प्रावधान है :-

" कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा वर्ग-III (अराजपत्रित) स्नातक स्तरीय पदों पर चयन के लिए समय-समय पर निर्धारित पाठ्यक्रम ।"

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

" पाठ्यक्रम :- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अधिसूचित झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन नियमावली में विहित नियम एवं प्रक्रिया के अनुसार आयोजित परीक्षा एवं पाठ्यक्रम ।"

6. राजस्व उप निरीक्षक द्वारा सीमित प्रतियोगिता के माध्यम से अंचल निरीक्षक-सह-कानूनगो के पद पर प्रोन्नति द्वारा की जाने वाली नियुक्ति हेतु पाठ्यक्रम को नियमावली की कण्डिका-7.7 (ग) के रूप में निम्नवत् अन्तःस्थापित किया जाता है :-

सीमित परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नवत् होगा :-

लिखित परीक्षा :-

विषयनिष्ठ प्रकार :- लिखित परीक्षा के दो पत्र होंगे, जिसका आयोजन झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक पत्र 100 अंक का होगा। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 03 घंटे की होगी।

प्रथम पत्र :-

खण्ड (क) :- सामान्य ज्ञान	- 30 अंक
खण्ड (ख) :- भारतीय संविधान	- 10 अंक
खण्ड (ग) :- झारखण्ड की विकास योजनायें	- 20 अंक
खण्ड (घ) :- राज्य से संबंधित ज्ञान	- 30 अंक
खण्ड (ङ) :- कम्प्यूटर संचालन से संबंधित आधारभूत ज्ञान	- 10 अंक

द्वितीय पत्र

(i) राजस्व उप निरीक्षक का दायित्व एवं कर्तव्य	- 10 अंक
(ii) अंचल निरीक्षक-सह-कानूनगो का दायित्व एवं कर्तव्य	- 10 अंक
(iii) CNT/SPT का सामान्य ज्ञान	- 10 अंक
(iv) Jharkhand Privileged Person homestead Tenancy Act	- 10 अंक
(v) दाखिल-खरिज की प्रक्रिया	- 10 अंक
(vi) गैरमजरूआ आम/खास आदि की जानकारी	- 10 अंक
(vii) भूदान/वासगीत पर्चा/गोचर भूमि आदि से संबंधित जानकारी	- 10 अंक
(viii) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की जानकारी	- 10 अंक
(ix) झारखण्ड अतिक्रमण अधिनियम की जानकारी	- 10 अंक
(x) खासमहाल मैनुअल से संबंधित जानकारी	- 10 अंक

7. "झारखण्ड राजस्व सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा-शर्तें) नियमावली, 2018" इस हद तक संशोधित समझी जायेंगे एवं अधिसूचना की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एल. खियांगते,
अपर मुख्य सचिव।
